



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032023-244492
CG-DL-E-20032023-244492

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1247]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2023/फाल्गुन 29, 1944

No. 1247]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2023/PHALGUNA 29, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2023

का.आ. 1296(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की प्रोन्नति और विकास को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है कि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को उद्यम सहायता मंच पर जारी किया गया प्रमाण पत्र, प्राथमिकता क्षेत्र उधार फायदे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के समकक्ष समझा जाएगा।

[फा. सं. पीवाई 10024/12/2021 पी और जी. डीसीएमएसएमई]

डा. रजनीश, अपर सचिव और विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2023

S.O. 1296(E).—In exercise of powers conferred by section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, for the purposes of facilitating the promotion and development of micro, small and medium enterprises, specifies that the certificate issued on the Udyam Assist Platform to Informal Micro Enterprises shall be treated at par with Udyam Registration Certificate for the purpose of availing Priority Sector Lending benefits.

[F. No. PY-10024/12/2021-P and G-DCMSME]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy. and Development Commissioner